

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, थानागाजी, अलवर

उनवान घनश्याम बनाम हेमराज

मु० नं० ३/२४/१३

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/9/19	<p>आज यह पत्रावली मूलवाद के साथ पेश हुई। इस प्रां पत्र से संबंधित मूलवाद दिनांक 13/06/2019 के डिडी हो चुका है। प्रां पत्र में वकील पार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अन्तिम डिडी में वॉर्ड ग्राह दुहारमला के स्थान पर थानागाजी सहवन से अडिटे हो गया है। जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। मूलवाद व दिनांक 13/6/19 के जारी निर्णय का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पता चला है कि डिडी में सहवन से दुहारमला की जगह थानागाजी लिखा गया जो कि लिपिडीय प्रूल है।</p> <p>अह: पार्थी पत्र 151, 152 C.P.C. स्वीकार किया जा रहा है तथा संशोधित डिडी जारी करने के आदेश दिए जा रहे हैं। संशोधित निर्णय व डिडी मूल पत्रावली में संलग्न कराये जायें। जिल्ला डायल शुभाना होकर गन्धन के इस की प्रां पत्र काड तामील दाखिल करार है।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी थानागाजी (अलवर)</p>